राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1.अपील संख्या–1666/2012/जोधपुर
2.अपील संख्या–1667/2012/जोधपुर
3.अपील संख्या–1668/2012/जोधपुर
4.अपील संख्या–1669/2012/जोधपुर

वाणिज्यक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोधपुर **बनाम्** तोषनीवाल इम्पेक्स प्रा.लि.,जोधपुर
.....अपीलार्थी .....प्रत्यर्थी

5.कॉस आब्जेक्शन संख्या–2024/2012/जोधपुर
6. कॉस आब्जेक्शन संख्या–2025/2012/जोधपुर
7. कॉस आब्जेक्शन संख्या–2026/2012/जोधपुर
8. कॉस आब्जेक्शन संख्या–2027/2012/जोधपुर

तोषनीवाल इम्पेक्स प्रा.लि,जोधपुर **बनाम** वाणिज्यक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोधपुर
.....अपीलार्थी .....प्रत्यार्थी

9.अपील संख्या–1670/2012/जोधपुर
10.अपील संख्या–1671/2012/जोधपुर

वाणिज्यक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोधपुर **बनाम्** युनिर्वसल इम्पेक्स प्रा.लि.,जोधपुर
.....अपीलार्थी .....प्रत्यार्थी

11. कॉस आब्जेक्शन संख्या–2028/2012/जोधपुर
12. कॉस आब्जेक्शन संख्या–2029/2012/जोधपुर

युनिर्वसल इम्पेक्स प्रा.लि.,जोधपुर **बनाम्** वाणिज्यक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोधपुर
.....अपीलार्थी .....प्रत्यार्थी

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित : :
श्री डी.पी. ओझा,
उपराजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से.

श्री एन.एम मेडतिया,
अभिभाषक। .....व्यवहारी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 06.08.2015

निर्णय

उपरोक्त सभी अपीले उपायुक्त(अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर, अधिनियम की धारा 83 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) के अर्न्तगत निम्न तालिका अनुसार वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें निम्नानुसार आरोपित मांग राशि के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने तथा जांच कर निर्धारण अधिकारी के

लगातार.....2

अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.03.2012 को चुनौती दी गई है तथा राजस्व द्वारा उक्त सृजित मांग राशि को निरस्त कर दिये जाने को चुनौती दी गई है।

उक्त सभी अपीलों एवं प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन्स) में एक समान बिन्दु विवादित होने से इन सभी अपीलों का निस्तारण एक संयुक्त आदेश से किया जा रहा है आदेश की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जाती है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2004–05 एवं 2005–06 के लिये पृथक पृथक कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 24, 55,, 58, 61 दिनांक 29.03.2010 को पारित करते हुए निम्न तालिका अनुसार मांग सृजित की गयी:–

सृजित मांग का विवरण:–

अपील संख्या	प्रत्याक्षेप संख्या	अपीलीय आदेश संख्या	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण अन्तर्गत धारा	सृजित कुल मांग
1666/2012	2024/2012	39/RST/JUA/11–12	2005–06	24,55,58,61	590911
1667/2012	2025/2012	40/RST/JUA/11–12	2006–07	24,55,58,61	175601
1668/2012	2026/2012	41/RST/JUA/11–12	2007–08	24,55,58,61	67327
1669/2012	2027/2012	42/RST/JUA/11–12	2008–09	24,55,58,61	3921324
1670/2012	2028/2012	43/RST/JUA/11–12	2004–05	24,55,58,61	4477815
1671/2012	2029/2012	44/RST/JUA/11–12	2005–06	24,55,58,61	18851263

प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन संयुक्तादेश दिनांक 30.03.2012 से स्वीकार करते हुए प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गई है। साथ ही प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा भी क्रॉस आब्जेकशनस प्रस्तुत किये गये है।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी के प्रकरण प्रतिप्रेषित करने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2012 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पृथक पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.04.2014 को पारित किये जा चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूपस राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें निष्प्रभावी हो चुकी है। विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के समर्थन में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 11.04.2014 की प्रतियां भी प्रस्तुत की गयी। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राजस्व की अपीलें तथा प्रत्यार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शनस निष्प्रभावी हो जाने से अस्वीकार किये जाने का विवेचन किया गया।

लगातार.....3

बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी के अभिकथन से सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरणों को गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावलियों एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.03.2012 की पालना में पारित किये गये पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.04.2014 का अवलोकन किया गया।

प्रकरणों में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 29.03.2010 के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन संयुक्तादेश दिनांक 30.03.2012 के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः वेट अधिनियम की धारा 24(6) के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.04.2014 को पारित किये जा चुके है।

अतएव अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये जाने के पश्चात अब प्रकरण प्रतिप्रेषित करने संबंधी अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध विचाराधीन अपीलें चलने योग्य नहीं होती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहत ट्रेडिंग (2009) 25 टैक्स अपडेट 59 के अभिनिर्णय में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत कॉस आब्जेक्शनस भी खारिज किये जाते है।

निर्णय सुनाया गया।

6-8-2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

(मदन लाल)
सदस्य